4579
16.8.14

(474) पत्रांक- 1423
दिनांक- 16.8.14
मु0चि0अ0
अम्बेडकरनगर

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रॉक: /फे0प0इ0यो0/2014–15 दिनॉक 23 जुलाई 2014

जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–543/पॉच–9–14–9(293)/13 दिनॉक 03 जुलाई 2014 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू योजना सम्बन्धी मैनुअल अक्टूबर 2013 मे प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत नसबन्दी के उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता के प्रकरणो मे क्षतिपूर्ति हेतु दिनॉक 01.04.2014 से प्रदेश मे "परिवार नियोजन इन्डेम्निटी योजना" लागू किये जाने के निर्देश प्राप्त है। "परिवार नियोजन इन्डेम्निटी योजना" के जनपद मे क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी का गठन किया जाता है–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	कनवेनर
3	उप/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर0सी0एच0	सदस्य सचिव
4	डा0 विजय तिवारी सर्जन, सं0जि0चि0 अम्बेडकरनगर	सदस्य
5	डा0 भानमती वर्मा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सं0जि0चि0 अम्बेडकरनगर	सदस्य
6	डा0 ए0के0 श्रीवास्तव सामु0स्वा0केन्द्र टाण्डा, अम्बेडकरनगर	सदस्य
7	डा0 एस0 के0 चौबे, निश्चेतक, सं0जि0चि0 अम्बेडकरनगर	सदस्य
8	श्रीमती निर्मला अरोड़ा, मैट्रन सं0जि0चि0 अम्बेडकरनगर	सदस्य
9	जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी	सदस्य
10	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित परिवार नियोजन सेवाओं हेतु एकीडेटिड सेवा केन्द्र सदस्य (कोई नही)	सदस्य
11	जिलाधिकारी महोदय, द्वारा नामित फासी सदस्य का नाम (कोई नही)	सदस्य

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर

पत्रॉक: /फे0प0इ0यो0/2014–15 12979-S तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर।
4. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 अम्बेडकरनगर।
5. डा0 विजय तिवारी सर्जन, संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर।
6. डा0 भानमती वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर।

CMO
DM

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर

DY CMO O.P. / DPM

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रॉकः /फे0प0इ0यो0/2014–15 दिनॉक 13 जुलाई 2014

जनपद स्तरीय परिवार नियोजन इनडेम्निटी उपसमिति

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–543/पॉच–9–14–9(293)/13 दिनॉक 03 जुलाई 2014 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू योजना सम्बन्धी मैनुअल अक्टूबर 2013 मे प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत नसबन्दी के उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता के प्रकरणों मे क्षतिपूर्ति हेतु दिनॉक 01.04.2014 से प्रदेश में **"परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना"** लागू किये जाने के निर्देश प्राप्त है। **"परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना"** के जनपद मे कियान्वयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है–

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
3	उप/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव
4	डा0 विजय तिवारी सर्जन, सं0जि0चि0 अम्बेडकरनगर	सदस्य
5	डा0 भानमती वर्मा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सं0जि0चि0 अम्बेडकरनगर	सदस्य

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर

पत्रॉकः /फे0प0इ0यो0/2014–15 / 2962-5 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2 मुख्य चिकित्सा अधिकारी अम्बेडकरनगर।
3 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर।
4 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 अम्बेडकरनगर।
5 डा0 विजय तिवारी सर्जन, संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर।
6 डा0 भानमती वर्मा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, संयुक्त जिला चिकित्सालय अम्बेडकरनगर।

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर